न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पीठासीन अधिकारी:–रमेश देव आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:– 322/2023
वादपत्र अन्तर्गत धारा :– 88 आरटीए

1. ईकबाल खान पुत्र शोकत अली जाति मुसलमान निवासी किकरावाली तह संगरिया जिला हनुमानगढ राज.
2. सलीम खान पुत्र शोकत अली जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तह संगरिया जिला हनुमानगढ

वादीगण

बनाम

1. शोकतअली पुत्र नूरमोहम्मद जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया
2. रानी बीबी पत्नी अलादिन पुत्री शोकत अली जाति मुसलामान निवासी किकरवाली तह संगरिया
3. जैना बीबी पत्नी शोकत अली जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया
4. तहसीलदार राजस्व संगरिया

–प्रतिवादीगण

उपस्थित – 1. श्री नवरत्न स्वामी – वकील वादीगण
2. श्री कन्हेयालाल स्वामी – वकील प्रति स 1 ता 3

निर्णय

दिनांक:– 31.7.2023

वादीगण ईकबाल वगैरा ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह राजस्व वाद बाबत् इस्तकरार हक के तहत दिनांक 06–07–2023 को इस न्यायालय में पेश किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण का पत्र व्यवहार का पंजीकृत पता व्यवहार प्रकिया के आज्ञापक प्रावधानो के अन्तर्गत वही है जो कि वाद शीर्षक में अंकित है। यह कि वादीगण के पिता प्रतिवादी नं. 1 शोकत अली पुत्र नूरमोहम्मद तहसील संगरिया के चक न 9एम.एम.के खाता संख्या 79/5 मे कुल खाता 6.325 है में से 6/25 हिस्सा यानि 1.518है0 व इसी एक नं 9 एम.एम.के खाता संख्या 13/32 में कुल खाता 5.629है0 में से 0.801है का वितस्तन खातेदार काश्तकार है कि उक्त समस्त कृषि भूमि हमारी विरास्तन कृषि भूमि है जिसमे हम वादीगण एवं प्रतिवादीया न० 2 का जन्मजात हक व हिस्सा है प्रतिवादीया नं. 2 हमारी बहन व प्रतिवादीया नं0 3 हमारी माता है प्रतिवादीया नं० 2 व 3 उक्त विरास्तन कृषि भूमि मे कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है उन्होने अपने विरास्तन हक हिस्सा का परित्याग कर दिया है प्रतिवादीया नं० 2 विवाहित है उसका विवाह वादीगण एवं प्रतिवादी नं० 1 ने विरास्तन कृषि भूमि की आय से किया था व शादी के समय ही दान दहेज के रूप मे विशस्तन हिस्सा दे दिया था अब प्रतिवादीया नं० 2 कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है। वादीगण अपने–अपने परिवार सहित पिता प्रतिवादी नं0 1 से अलग–अलग रहते है हमारा मुख्य पेशा कृषि है किन्तु उक्त समस्त विरास्तन कृषि भूमि पिता प्रतिवादी नं० 1 के नाम होने के कारण हम वादीगण को बीज खाद आदि का ऋण लेने के लिये काफी असुविधा होती है इसलिये हम वादीगण अपना जन्मजात हक हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के हकदार एंव दावेदार है। कि वादीगण एवं प्रतिवादी मं० 1 के मध्य धरूतौर पर बंटवारा हो चुका है मुताबिक घरूबंटवारा के हम वादीगण के हिस्सा मे चक ने 9एम.एम.के खाता संख्या 79/6 मे कुल खाता 6.325है0 में से 6/25 हिस्सा यानि 1.518है0 कृषि भूमि ब.हि.ब हिस्सा मे आई है तथा पिता प्रतिवादी नं 1 के हिस्सा मे चक नं. 9 एम.एम.के खाता संख्या 13/32 मे कुल खाता 5.629है0 में से 801/5629 हिस्सा यानि 0.801हे कृषि भूमि आई है। उक्त धरूबंटवारा मुताबिक एक हिस्सा में आई कृषि भूमि वादीगण के कब्जा काश्त में है जिसके वादीगण विरास्त खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के हकदार एवं दावेदार है। कि वादीगण ने कई दफा प्रतिवादीगण से अनुनय विनय की कि हमारा जन्मजात हिस्सा मुताबिक धरूबंटवारा के उपरोक्त घरू बंटवारा के चक नं. 9 एम.एम.के खाता संख्या 79/5 मे कुल खाता 6.325हे0 मे से 6/25 हिस्सा यानि 1.518है0 कृषि भूमि का हम वादीगण को बहि.ब विरास्तन खातेदार काश्तकार मान लेवे व इसीनुसार राजस्व रिकार्ड मे हमारे नाम से अमल दरामद करवा देवे किन्तु प्रतिवादीगण पहले तो टाल मटोल करते रहे एवं अन्त में पिछले सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार कर दिया बस वही विनाय दावा है। कि वाद पत्र की चरण संख्या 2 मे दर्ज समस्त कृषि भूमि मे वादीगण का जन्मजात हिस्सा है, वादीगण

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

अपने पिता प्रतिवादी नं० 1 से अलग–अलग रहकर काश्त कर अपने–अपने परिवार का भरण पोषण करते है उक्त कृषि भूमि को काश्त करने हेतु बीज खाद हेतु बैंक से ऋण लेने की आवश्यकता बनी रहती है अतः वादीगण को धरूबंटवारा मुताबिक हिस्सा मे आई कृषि भूमि का विरास्तन काश्तकार खातेदार घोषित नही किया गया तो हम वादीगण को कभी न पुरा होने वाला नुकसान होगा जिसकी क्षतिपूर्ती किसी भी प्रकार से धन से न हो सकेगी। कि प्रतिवादी नं 4 से किसी प्रकार का डायरेक्ट अनुतोष नहीं चाहा गया है, भूमि धारक होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। कि दावा बाबत इस्तकरार एक का है जो दो रूपये के शुल्क पर प्रस्तुत है जो कि काबिल समायत अदालत वाला है व अंदर मियाद है। लिहाजा वाद, वादीगण बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिकी फरमाया जाये कि क– घोषित करे कि वादीगण चक न 9 एम.एम.के खाता संख्या 79/5 मे कुल खाता 6.325है0 मे से 6/25 हिस्सा यानि 1.518है0 कृषि भूमि के बहिब के विरास्तन खातेदार काश्तकार है। कि चक नं 9 एम.एम.के खाता संख्या 79 / 5 मे प्रतिवादी नं0 1 का नाम कलगजन किया जाये

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने जरिये अधिवक्ता ईकाबाल दावा प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं. 3 ने शपथ पत्र प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रांवली किया गया। वादीगण एवं प्रति.सं. 1 ता 3 ने जरिये अधिवक्ता अपना राजीनामा प्रस्तुत किया जो तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं. 4 राज पैरोकार तहसीलदार (राजस्व) संगरिया की ओर से जबाव प्रस्तुत किया गया। जिसमें राज्य हित को विपरीत प्रभावित किये बिना वादी को याचित अनुतोश प्रदान करने में कोई आपत्ति नहीं की गई। वादी स 1 ने साक्ष्य में शपथ पत्र आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी पेश किया गया जिसमें वादपत्र के तथ्यों को दर्षाया गया। साक्ष्य प्रतिवादी में प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं। इसलिए साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गई।

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादीगण ने राजीनामा के कथनो को दोहराते हुऐ कथन किया की मुताबिक राजीनामा वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया । वकील प्रतिवादी स 1 ता 3 ने मुताबिक राजीनामा वाद डिक्री किये जाने सहमती वयक्त की। वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 ता 3 एक ही परिवार के सदस्य है। प्रतिवादीगण 1 ता 3 ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया है जिससे वाद पत्र के तथ्यों की पुष्टि हो रही है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने आपस में आराजी की घोषणा बाबत राजीनामा पेश किया है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादीगण साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वादीगण के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया गया। प्रकरण में राजीनामा पेश हो चुका है। परिणाम स्वरूप वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी डिक्री किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण उक्त राजीनामा के आधार पर निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि घोषित किया जाता है कि वादीगण चक न 9 एम.एम.के खाता संख्या 79/5 मे कुल खाता 6.325है0 मे से 6/25 हिस्सा यानि 1.518है0 कृषि भूमि के ब.हि.ब के खातेदार काश्तकार है। व चक न 9 एम.एम.के खाता संख्या 79/5 मे प्रतिवादी स 1 का नाम कलमजन किया जाता है।

पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 31.7. /2023.को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास में सुनाया गया।

31/7

(रमेश देव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
(अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

पीठासीन अधिकारीः– **रमेश देव** आर.ए.एस.
वादपत्र अन्तर्गत धारा :–88 आरटीए
प्रकरण संख्याः– 322 / 2023

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. ईकबाल खान पुत्र शोकत अली जाति मुसलमान निवासी किकरावाली तह संगरिया जिला हनुमानगढ राज.
2. सलीम खान पुत्र शोकत अली जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तह संगरिया जिला हनुमानगढ

वादीगण

बनाम

1. शोकतअली पुत्र नूरमोहम्मद जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया
2. रानी बीबी पत्नी अलादिन पुत्री शोकत अली जाति मुसलामान निवासी किकरवाली तह संगरिया
3. जैना बीबी पत्नी शोकत अली जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया
4. तहसीलदार राजस्व संगरिया

–प्रतिवादीगण

दिनाक–31 / 07 / 2023

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ सहायक कलैक्टर एव उपखण्ड अधिकारी राजस्व संगरिया के समक्ष वास्ते इनफिसाल कत्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री नवरतन स्वामी वकील वादीगण मिन जामिन मुदई व श्री कन्हेयालाल स्वामी वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 3 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है डिक्री दी जाती है कि घोषित किया जाता है कि वादीगण चक न 9 एम.एम.के खाता संख्या 79 / 5 मे कुल खाता 6.325है0 मे से 6 / 25 हिस्सा यानि 1.518है0 कृषि भूमि के ब.हि.ब के विरास्तन खातेदार काश्तकार है। व उक्त खाता चक न 9 एम.एम.के खाता संख्या 79 / 5 मे प्रतिवादी स 1 का नाम कलमजन किया जाता है।
राजीनामा डिक्री का भाग रहेगा।
नोट :– रकबा रहनमुक्त होने के पश्चात् डिक्री का अमल दरामद होगा।
निज....X....नल....X....मुब्लिक....X....निल....X....बाबत्....X....निल....X....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक....X....अदा करें।
बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 31 / 07 / 2023 को जारी किया गया।

31/7

(रमेश देव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया